निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0 01/21/प्रा0पत्र

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,शाखाः झालावाड़ .... प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

(ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार)

01. रामचन्द्र प्रोपराईटर रवीन्द्र कुमार शर्मा
पताः–ए–32 ,जवाहर कॉलोनी,झालावाड़
02. अवध बिहारी राठोड़
पताः– ए–13 मदन विहार कॉलोनी,सूरजपोल नाका,झालरापाटन

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रा0पत्र

–: निर्णय :– **दिनांकः** 01.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से दिनांक 21.02.2015 को रूपये 10,00,000/– का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लाट न ए–32 जवाहर कॉलोनी झालावाड जिसमें निर्माण मशीनरी एवं उपकरण भी हैं व जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट है जो कि रवीन्द्र कुमार शर्मा के नाम से है को प्रार्थी बैंक के पास आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नही चुकाने पर दिनांक 31.12.2019 को अकियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.09.2020 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई । अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 11,13,832/– दिनांक 31.07.2020 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नही करने पर व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर दिनांक 31.12.2019 को एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरूद्ध रूपये 11,13,832/– दिनांक 31.07.2020 तक शेष हैं तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है । ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नही किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नही किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहतं जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पति को बेंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है– बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलंग्न शपथ के दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लाट न ए–32 जवाहर कॉलोनी झालावाड जिसमें निर्माण मशीनरी एवं उपकरण भी हैं व जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट है जो कि रवीन्द्र कुमार शर्मा के नाम से है ,जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व मे मकान न0 5–ए, पश्चिम में रास्ता 30 फीट चोडा,उत्तर में मकान न0 31–ए व दक्षिण में मकान न0 33–ए, उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। इस कम में प्रार्थी नियमानुसार निर्णय की प्रति प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 01.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़